न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/122/2022	2022/405	16.09.2022	23.07.2024

1. बनवारी लाल मीणा पुत्र स्व0 श्री हरिराम मीणा, निवासी ग्राम पाड़ली उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग ग्राम पंचायत टहटडा, तहसील रैणी, जिला अलवर राज0।

--अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, अलवर राज0।

--रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 20.06.2022 जिला रसद अधिकारी, अलवर प्रकरण संख्या 205/2022 बउनवान सरकार बनाम बनवारीलाल मीणा।

उपस्थितः–
01– श्री श्योराम सिंह नरूका – वकील अपीलान्ट
02– श्री अशोक कुमार –विभागीय प्रतिनिधि

–निर्णय–

जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा दिनांक 20.06.2022 को प्रकरण संख्या 205/2022 बउनवान सरकार बनाम बनवारीलाल मीणा में अपीलान्ट (पॉस कोड 17339) का प्राधिकार पत्र सं. 552/1991 विधि विरूद्ध तरीके निर्णय पारित किया गया है कि "श्री बनवारीलाल मीणा, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत टहटडा 1/2, तहसील रैणी के विरूद्ध समस्त देनदारियों को लम्बित रखते हुए निरस्त किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा जमा कराई गई समस्त प्रतिभूति राशि जब्त सरकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा उक्त पारित निर्णय दिनांक 20.06.2022 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं. 552/1991 विधि विरूद्ध तरीके से अपीलान्ट को बिना सुने निलम्बित कर दिया गया है, जिससे व्यथित होकर यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

कार्यालय जिला रसद अधिकारी अलवर के आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार श्रीमान को आयद है, जिस कारण अपील श्रीमान के श्रवणाधिकार के क्षेत्राधिकार में है। जिला रसद अधिकारी, अलवर के आदेश दिनांक 20.06.2022 के विरूद्ध यह अपील पेश की जा रही है। जिला रसद अधिकारी, अलवर के एकपक्षीय निर्णय दिनांक 20.06.2022 की सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलांट को दिनांक 12.08.2022 को हुई, जिस पर नकल वास्ते अपीलांट के द्वारा दिनांक 12.08.2022 को ही विधिवत आवेदन किया गया जिस पर दिनांक 01.09.2022 को आलोच्य निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई है। दिनांक 20.06.2022 से दिनांक 12.08.2022 तक का समय एवं नकल मिलने का समय दिनांक 12.08.2022 से 01.09.2022 तक मुजरा दिया जाकर अपील अन्दर अवधि पेश है। रफाये हुज्जत दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 20.06.2022 एकपक्षीय है, जबकि दिनांक 06.06.2022 को अपीलांट मातहत अदालत के समक्ष पेशी पर उपस्थित हुआ था, जिस दिन अपीलांट को तारीख पेशी नहीं दी गई थी और यह कहा था कि बाद में आकर तारीख पेशी मालूम कर लेना। उक्त के उपरांत अपीलांट बार–बार चक्कर लगाता रहा लेकिन मातहत अधिकारी एवं उनके अधिनस्थ कर्मचारियों के द्वारा प्रकरण में नियत तारीख की जानकारी अपीलांट को नहीं दी गई। दिनांक 12.08.2022 को जब अपीलांट ने मातहत अधिकारी को जोर देकर कहा कि आप मुझे बार बार बुलाते हो, लेकिन तारीख नहीं बताते, मेरे प्रकरण का आज ही फैसला कर दो जिस पर मातहत अधिकारी के द्वारा यह जाहिर किया गया कि अपीलांट के प्रकरण का दिनांक 20.06.2022 को ही निस्तारण कर दिया गया है जिस पर मिन अपीलांट ने आदेश दिनांक 20.06.2022 की नकल वास्ते प्रार्थना पत्र पेश किय तब दिनांक 12.08.2022 को मातहत अधिकारी के अधिनस्थ कर्मचारियों ने अपीलांट के आर्डरशीट पर हस्ताक्षर करवा लिये। उक्त प्रकार से मातहत अधिकारी का निर्णय एकपक्षीय है। मातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर के द्वारा प्रकरण दर्ज करने के पश्चात् अपीलांट को प्रेषित कारण बताओ नोटिस दिनांक 26.04.2022 का विस्तृत जवाब दिनांक

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

11.05.2022 को मातहत अधिकारी के समक्ष पेश कर दिया था, जिसका कोई विवेचन आलोच्य निर्णय में मातहत अधिकारी के द्वारा नहीं किया गया है। मातहत जिला रसद अधिकारी अलवर ने आलोच्य निर्णय में केवल यह दर्ज किया है कि जवाब संतोषजनक नहीं है, जो गलत है। मातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा आलोच्य निर्णय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब कारण बताओ नोटिस के खण्डन का कोई आधार दर्ज नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा उचित मूल्य सामग्री का वितरण पॉस मशीन के जरिये बॉयोमैट्रिक सत्यपान के आधार पर उपभोक्ताओं को किया जाता है, अपीलांट के द्वारा कोई फर्जी ट्रांजेक्शन व गबन नहीं किया गया है। अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 28.02.2022 को निलंबित किया गया था, जिसके करीब 02 माह उपरांत दिनांक 26.04.2022 को कारण बताओं नोटिस अपीलांट के विरूद्ध जारी किया गया जिसका विस्तृत जवाब अपीलांट के द्वारा दिनांक 11.05.2022 को मातहत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। अपीलान्ट द्वारा उचित मूल्य सामग्री का वितरण पोस मशीन के जरिये बॉयोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर उपभोक्ताओं को किया जाता है, अपीलान्ट के द्वारा कोई फर्जी ट्रांजेक्शन व गबन नहीं किया गया है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 28.02.2022 को निलंबित किया गया था, जिसके करीब 02 माह उपरान्त दिनांक 26.04.2022 को कारण बताओ नोटिस अपीलान्ट के विरूद्ध जारी किया गया जिसका विस्तृत जवाब अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 11.05.2022 को मातहत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। प्रवर्तन निरीक्षक दिनेश चौबे ने गलत रूप में अपीलांट की उचित मूल्य दुकान की बाबत दिनांक 28.02.2022 को निरीक्षण किय जाकर एकतरफा में जांच रिपोर्ट तैयार की जाकर दिनांक 28.02.2022 का ही मिन अपीलांट का प्राधिकार पत्र मातहत अधिकारी के द्वारा निलंबित कर दिया गया, अपीलांट के विरूद्व प्रवर्तक निरीक्षक दिनेश चौबे के द्वारा मनमानी जांच रिपोर्ट तैयार की गई है, जो कि क्षेत्रीय विधायक के दबाव के चलते तैयार की गई है एवं जिला रसद अधिकारी, अलवर के द्वारा भी उक्त मनमानी रिपोर्टो को सही मानते हुए एकपक्षीय रूप में आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जांच रिपोर्ट में आंगनबाडी का गैंहू, चावल चना के गबन का आरोप गलत विरचित किये गये है जबकि अपीलांट के द्वारा सभी आंगनबाडी केन्द्रों को चावल, गैंहू, दाल, चना समय पर उचित मात्रा में, उचित रेट पर प्रदान किय जाता रहा है, कोई गबन नहीं किया गया है। आंगनबाडी केन्द्रों के द्वारा उचित मूल्य सामग्री प्राप्ति बाबत रसीद अपील के साथ प्रस्तुत की जा रही है। अपीलांट के विरूद्ध झूठा प्रकरण बनाने की नियत से प्रवर्तन निरीक्षक ने अपीलांट की पॉस मशीन को अटैचमेन्ट डीलर को सौंप दी गई है लेकिन अपीलांट के पास जो 85 क्वि0 गैंहू जो स्टॉक में है, को आज तक अटैचमेन्ट डीलर को अपीलांट को नुकसान पहुंचाने की नियत से सुपुर्द नहीं करवाया गया है, ना ही अटैचमेन्ट डीलर के द्वारा अपीलांट से स्टॉक का गैंहू लिया गया है। प्राकृतिक न्याय का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी पक्षकार के विरूद्व कोई आदेश या निर्णय पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जाता है। परन्तु मातहत अधिकारी के द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 20.06.2022 एकपक्षीय रूप में अपीलांट को साक्ष्य पेश करने व सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के संशोधित आदेश क्रमांक एफ.13(49)खा.वि./आवंटन/2015–II जयपुर दिनांक 24.03.2017 में कम सं0 1 पर दर्ज किया गया है कि विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 05.08.2016 के बिन्दु संख्या 1 की प्रकिया सामान्य रूप से विलोपित कर, दिनांक 01.04.2017 के उपरान्त राशन सामग्री POS का उपयोग कर ही भामाशाह/आधार के माध्यम से बायोमैट्रिक अथवा ओ.टी.पी. सत्यापन के उपरान्त वितरित की जा सकेगी। उक्त आदेश की पालना में जिला रसद अधिकारी अलवर एवं प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मीटिंग करके समस्त राशन डीलरों को यह निर्देश दिये थे कि राशन डीलरों को उपभोक्ताओं को पॉस मशीन से वितरण करना है, यह ऑनलाईन वितरण व्यवस्था है, जिसमें राशन कार्ड में इनद्राज करने की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की पत्नी पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लडी थी जिसकी राजनैतिक रंजिश के चलते अपीलांट के विरूद्ध झूठी शिकायतें की जाती हैं। अपीलांट द्वारा उचित मूल्य सामग्री का वितरण पंचायत की खाद्य सुरक्षा लिस्ट अनुसार उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण किया गया है, इसी प्रकार के आदेश जिला रसद अधिकारी, अलवर के यहां से जारी हुए थे। मिन अपीलांट द्वारा राशन वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई है, जो भी वितरण किया गया है वो पॉस मशीन जरिये उपभोक्ता के फिंगर प्रिंट के जरिये किया गया है। पॉस मशीन द्वारा वितरण सामग्री आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड के आधार पर दर्ज की गई है, जिसमें किसी प्रकार की विसंगता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। जब भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड के आधार पर उपभोक्ता को पॉस मशीन में फिंगर प्रिंट के जरिये उचित मूल्य सामग्री का वितरण किया जाता है, तो उस स्थिति में उपभोक्ता के राशन कार्ड में इन्द्राज नहीं हो पाता है, जिसमें मिन अपीलांट की काई दुर्भावना नहीं रही है। अपीलांट वर्ष 1991 से यानि पिछले करीब 31 वर्षो से उचित मूल्य दुकानदार के कार्य को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करता चला आ रहा है। अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त होने से अपीलांट के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। उचित मूल्य साम्रगी के वितरण से बनने वाली कमीशन राशि से ही अपीलांट

जिला ... अलवर (राज.)

स्वयं का व अपने परिवार की गुजर बसर करता है। न्यायाहित में अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना आवश्यक है। अपीलांट के पास उचित मूल्य सामग्री 85 क्वि0 गैहू का स्टॉक मौजूद है, जिसे न्यायहित में अटैचमेन्ट का डीलर को प्रादन किया जाना आवश्यक है। स्टॉक में गैहू पडे रहने से उचित मूल्य सामग्री गैहू के खराब होने व छीजत का अदेंशा है। उचित मूल्य सामग्री की कमीशन से मिलने वाली आय के अलावा अपीलांट के पास अन्य कोई आय का साधन नही है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा बउनुवान सरकार बनाम बनवारीलाल मीणा में पारित निणर्य दिनांक 20.06.2022 जिसके द्वारा जिसके द्वारा (पॉस कोड 17339) का प्राधिकार पत्र सं. 552/91 विधि विरूद्ध तरीके निरस्त किया गया है। वो निरस्त फरमाया जावें। अपीलांट का प्राधिकार पत्र संख्या 552/1991 बहाल करते हुए उचित मूल्य सामग्री 1/2 भाग ग्राम पंचायत टहटडा, तहसील रैणी, अलवर का उठाव एवं वितरण/सप्लाई चालू करने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें।

विभागीय पैरोकर की बहस सुनी गई। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वक्त निरीक्षण दिनांक 26.02.2022 में उचित मूल्य दुकान पर 80 क्विंटल गेहूं का स्टॉक पाया गया, लगभग 20 विचंटल गेहूं कम पाया गया एवं दिनांक 27.02.2022 की जांच में मौके पर 40 क्विंटल गेहूं का स्टॉक पाया गया तथा उचित मूल्य दुकानदार के अनुसार 85 क्विंटल गेहूं अटैचमेंट डीलर को सुपुर्द नहीं कराया गया है मय कारण बताओ नोटिस के संबंध में अप्रार्थी द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब पेश नही किया गया। अटैचमेंट डीलर को POS मशीन में दर्ज 52 चना, अन्न सहायता की गेहूं 1250 किलोग्राम, आंगनबाड़ी चावल 2400 किग्रा., आंगनवाड़ी चना दाल 2165 किग्रा., आंगनवाड़ी गेहूं 2850 तथा खाद्य सुरक्षा का गेहूं 8327.3 किग्रा. व एनएफएसए दाल 263 किग्रा. नहीं संभलवाए गए। अतः अप्रार्थी बनवारी लाल मीणा, उचित मूल्य दुकानदार ग्रा.पं. टहटडा तह0 रैणी जिला अलवर द्वारा कुल गेहूं 14847.3 किग्रा., चना दाल 2628 किग्रा., चावल 2400 किग्रा. एवं 0.5 लीटर केरोसीन का दुरूपयोग किया गया। उचित मूल्य दुकानदार का यह कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1, 8, 9, 10 व 17 सी एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का भी स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन अनुसार एवं वक्त निरीक्षण जिला रसद अधिकारी दिनांक 26.02.2022 को उचित मूल्य दुकान पर 80 क्विंटल गेहूं का स्टॉक पाया गया, लगभग 20 क्विंटल गेहूं कम पाया गया एवं दिनांक 27.02.2022 की जांच में मौके पर 40 क्विंटल गेहूं का स्टॉक पाया गया। अप्रार्थी बनवारी लाल मीणा, उचित मूल्य दुकानदार ग्रा.पं. टहटडा तह0 रैणी जिला अलवर द्वारा कुल गेहूं 14847.3 किग्रा., चना दाल 2628 किग्रा., चावल 2400 किग्रा. एवं 0.5 लीटर केरोसीन का दुरूपयोग किया गया। उचित मूल्य दुकानदार का यह कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1, 8, 9, 10 व 17 सी एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का भी स्पष्ट उल्लंघन किया है। अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी अलवर का निर्णय दिनांक 20.06.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23–07–2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(आशीष [illegible])
जिला [illegible] अलवर
राजस्थान